LIQUIDATION MANUAL

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रक्रिया का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 से 72 तक एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 एवं 58 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

परिसमापन संबंधी आदेश

धारा 59 की जांच पश्चात, धारा 60 के निरीक्षण उपरांत या कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार को उचित प्रतीत होने से रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापन का आदेश जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण के पश्चात कार्य प्रारंभ न करने, अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन किन्हीं शर्तों का पालन न करने अथवा सदस्यों से ओव्हरड्यू कालातीत मांग वसूल न करने पर रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से भी परिसमापन का आदेश जारी कर सकते है।

सभी ऐसी सहकारी संस्थाओं को चिन्हांकित करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ हो जानी चाहिये जिनमें परिसमापन की स्थिति बन रही है एवं तद्नुसार त्वरित कार्यवाही होना चाहिये।

परिसमापक की नियुक्ति

धारा 69 के अधीन जारी किये गये आदेश में रजिस्ट्रार द्वारा परिसमापक की नियुक्ति धारा 70 के अधीन की जाती है।

(अ) परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात परिसमापक संस्था की समस्त परिसम्पत्तियों/वस्तुओं तथा कार्यवाही योग्य दावों (एक्शनेबल) का अपने नियंत्रण में ले लेगा एवं सम्पत्तियों, वस्तुओं व दावों की हानि को रोकने के लिये आवश्यक उपाय करेगा।

(ब) परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात सोसायटी के संचालक मंडल की समस्त शक्तियां आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त हो जाती है तथा सोसायटी के कर्मचारी परिसमापक के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

(स) नियुक्ति के पश्चात परिसमापक द्वारा परिसम्पत्तियों, वस्तुओं एवं दावों के साथ ही समस्त बैंक खातों को परिसमापक के नाम से परिवर्तित करा लेना चाहिये ताकि संस्था पदाधिकारियों द्वारा राशि का आहरण नहीं किया जा सके।

(द) परिसमापक द्वारा संस्था से सम्पर्क कर नियुक्ति की सूचना लिखित में देकर संस्था का समस्त रिकार्ड अपने आधिपत्य में लेकर रिकार्ड, परिसम्पत्तियों एवं वस्तुओं की सूची तैयार कर उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना चाहिए एवं रजिस्ट्रार को रिकार्ड प्राप्ति की सूचना देना चाहिये। यह ध्यान रखने योग्य है कि परिसमापन आदेश जारी होने की दिनांक से ही प्रभावशील होता है।(परिसमापक को रिकार्ड प्रभार में मिले या नहीं)

(इ) यदि परिसमापन आदेश अपील में निरस्त कर दिया जाये तो समितियों की परिसम्पत्तियों, वस्तुओं एवं दावे परिसमापक द्वारा पुनः संस्था को सौंप दिये जावेंगे। ऐसी स्थिति में निरस्त आदेश के निर्देश एवं उसमें उल्लेखित निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन आवश्यक होता है।

समिति का परिसमापक विभागीय अधिकारी अथवा गैर विभागीय अधिकारी दोनों को बनाया जा सकता है। नियम क्रं. 57 एच के अनुसार परिसमापक का पारिश्रमिक का निर्धारण यदि कोई हो तो वह रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित किया जावेगा किन्तु गैर विभागीय परिसमापक को सामान्यतः उसके द्वारा वसूल की गई समस्त धनराशि का 5 प्रतिशत तक पारिश्रमिक निश्चित किया जा सकता है।

परिसमापक की शक्तियॉ

परिसमापक की शक्तियों का वर्णन अधिनियम की धारा 71 में विस्तारपूर्वक किया गया है, जिसकी मुख्य विषयवस्तु निम्नानुसार हैः–

संस्था की आस्तियां– परिसमापन के अन्तर्गत लाई गई सोसायटी की समस्त आस्तियां परिसमापन आदेश के प्रभावशील होने के दिनांक से परिसमापक में निहित हो जायेगी तथा परिसमापक को यह पूर्ण अधिकार अधिनियम में प्रदाय किया गया है कि वह ऐसी आस्तियों को विक्रय या अन्य प्रकार से वसूल करे। जब तक परिसमापन का आदेश प्रभाव में नहीं आता हैं, तब तक परिसमापक को आस्तियों को विक्रय करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है।

रजिस्ट्रार का नियंत्रण– परिसमापक को रजिस्ट्रार नियंत्रण में धारा 71 (2) के खण्ड ए/क से जे/ञ तक में उल्लेखित समस्त शक्तियां प्राप्त है। उक्त खण्डों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि परिसमापक को सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार काफी व्यापक है। संस्था के समापन के पश्चात् शेष कार्यों को त्वरित गति तथा पूर्ण रूप से निराकरण करने हेतु इस प्रकार की शक्तियां परिसमापक को प्रदाय किया जाना अति आवश्यक है। किन्तु उनका प्रयोग (रजिस्ट्रार के नियंत्रण) में ही किया जाना उचित है क्योंकि शक्तियों का दुरूपयोग रोकने एवं परिसमापक के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिये दी गयी शक्तियों का प्रयोग रजिस्ट्रार के नियंत्रण में ही किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक परिसमापक का यह कर्त्तव्य है कि वह इस धारा में सौंपी

गई शक्तियों एवं अधिकारों का उपयोग न्यायिक रूप में ही करे न कि स्वेच्छाचारिता से। परिसमापक का यह प्रयास होना चाहिये कि वह सोसायटी की परिसमापन संबंधी कार्यवाही युक्ति युक्त समय में पूर्ण करे।

वाद प्रस्तुत करना– धारा 31 के तहत संस्था का पंजीयन उसे निगमित निकाय बनाता है, जिसे सामान्य मुद्रा के साथ ही संपत्ति धारण करने, अपने नाम से वाद प्रस्तुत करने, प्रतिवाद करने अन्य वैधानिक कार्यवाहियां करने की शक्तियां प्रदान करता है। जैसे ही संस्था परिसमापन में आकर परिसमापक नियुक्त किया जाता है, संस्था की उक्त समस्त शक्तियॉ परिसमापक में सन्निहित हो जाती है। इस प्रकार परिसमापक को उसके कार्यालय के नाम से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है। परंतु वाद प्रस्तुत करने के दो माह पूर्व अधिनियम की धारा 94 के तहत रजिस्ट्रार को सूचना देना आवश्यक है। परिसमापन में लाई गई समिति तब तक निगमित निकाय रहेगी जब तक अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत उसका पंजीयन निरस्त नहीं कर दिया जाता ।

अधिनियम की धारा 82(2) के तहत जब किसी सोसायटी का परिसमापन किया जा रहा है, तो ऐसी सोसायटी के कारोबार के संबंध में परिसमापक के विरूद्ध उस हैसियत में या उस सोसायटी के या उसके किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई भी वाद या विधिक कार्यवाही बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के नहीं की जा सकती है।

परिसमापित संस्था का परिसमापक समिति की कमेटी का स्थान ग्रहण करता हैं। अतः अधिनियम की धारा 85(सी) के अन्तर्गत वसूली अधिकारी के माध्यम से वह उन निर्णयों का निष्पादन करवा सकता है जिन्हें कि समिति की कमेटी ने संस्था के सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त किये है। इसके अतिरिक्त परिसमापक उसके एवं सदस्य के बीच विवाद रजिस्ट्रार को अधिनियम की धारा 64 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकता है। यदि विवाद बकाया रकम तथा ब्याज के संबंध में हो तो विवाद प्रस्तुत करने की समयावधि बकायादार सदस्य द्वारा संस्था की सदस्यता छोड़ने के दिनांक से अथवा उसकी मृत्यु के दिनांक से 6 वर्ष होगी। दावों के संबंध में परिसमापक दावे दायर करने अथवा प्रतिरक्षण करने हेतु अभिभाषक की नियुक्ति भी कर सकता है। अभिभाषक का पारिश्रमिक परिसमापन व्यय के रूप में देय होगा।

संस्था के परिसमापन के दौरान यह पाया जाए कि किसी व्यक्ति ने अथवा अधिकारी/कर्मचारी ने अधिनियम/ नियम के विरूद्ध अथवा उपविधियों के विरूद्ध कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा द्वारा कोई कमी घटित की है या हानि पहुंचाई है अथवा सोसायटी के किसी धन/ संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या संपत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या परिसमापक के आवेदन पर अधिनियम की धारा 58 बी/ख के तहत राशि वसूल करने का आदेश दे सकता है।